<u>विज्ञापन</u>

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

इन्दौर, मध्य प्रदेश

<u>विज्ञापन संख्या: आरआरसीएटी-2/2024</u>

आरआरकैट ट्रेड अपरेंटिसशिप योजना (तसर)

अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत ट्रेड प्रशिक्षुओं (अप्रेन्टिस) की भर्ती

1. राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरकैट), इन्दौर, मध्य प्रदेश में **अपरेंटिस अधिनियम, 1961** और **अपरेंटिसशिप नियम, 1992** के वर्तमान प्रावधानों के तहत **120** ट्रेड प्रशिक्षुओं (अप्रेन्टिस) के प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बैच के आरंभ होने की तिथि **09** जनवरी, **2025** है। तालिका-1 में सूचीबद्ध सभी ट्रेडों के लिए **प्रशिक्षुता की अवधि 1 वर्ष** है। आरआरकैट में ट्रेड अपरेंटिसशिप की यह योजना राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रवर्धन योजना (एन ए पी एस अथवा नैप्स) का एक भाग है।
2. **इसके लिए दिनांक 06/09/2024 से 30/09/2024 को अपराह्न 15:00 बजे तक आरआरकैट अपरेंटिसशिप पोर्टल** पर आनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
3. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों के नॉन क्रीमी लेयर (ओबीसी-एनसीएल) के लिए आरक्षण, अपरेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगी।
4. ऐसा प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक ट्रेड में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या अपरेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूदा प्रावधानों में सुझाए गए अनुपात / प्रतिशत के अनुसार हो। किन्तु यदि किसी ट्रेड में प्रशिक्षण स्थानों की संख्या कम है तो इसे लागू करना हमेशा सम्भव नहीं होगा। ऐसे मामलों में प्रशिक्षण स्थानों का आरक्षण सभी नामित ट्रेडो में प्रशिक्षुओं की कुल संख्या के आधार पर किया जाएगा। **120 प्रशिक्षण स्थानों में से 18 अनुसूचित जाति के लिए, 24 अनुसूचित जनजाति के लिए, तथा 18 अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए आरक्षित हैं।**
5. यदि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो रिक्त स्थानों को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है। इसी तरह से यदि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो रिक्त स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है। इसके बाद भी यदि कुछ अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को नहीं भरा जा सका तो इन प्रशिक्षण स्थानों को उन अभ्यर्थियों से भरा जायेगा जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नहीं है।
6. यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों की संख्या उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो रिक्त स्थानों को ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के नहीं हैं।
7. **आयु सीमा: प्रशिक्षुता प्रारंभ होने की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म तिथि 09/01/2001 से 09/01/2007 के बीच होना चाहिए।**

8. **वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) की राशि:** वृत्तिका **₹ 11,600/- (रूपए ग्यारह हजार छह सौ रुपए मात्र) प्रति माह** है।
9. **अप्रेन्टिस पंजीकरण:** सभी अभ्यर्थियों को नैप्स पोर्टल https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षुता पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए केंद्र सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट है।
10. नीचे दी गयी सारणी में सभी ट्रेड तथा उनमें प्रशिक्षुओं की संख्या दी गयी है:

तालिका -1: ट्रेड, प्रशिक्षुओं की संख्या तथा न्यूनतम योग्यता की सूची

#	ट्रेड	प्रशिक्षुओं की संख्या	योग्यता - निम्नलिखित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण हो
1.	वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)	4	वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)
2.	फिटर	22	फिटर
3.	मशीनिस्ट	6	मशीनिनिस्ट ट्रेड
4.	टर्नर	6	टर्नर
5.	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)	8	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)
6.	प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक	4	प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
7.	इलेक्ट्रीशियन	10	इलेक्ट्रीशियन
8.	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक कंज्युमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस /मैकेनिक इंडसट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स	18	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक कंज्युमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस / मैकेनिक इंडसट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स / टेक्नेशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम (जो भी लागू होता हो).
9.	इंसट्रुमेंट मैकेनिक	2	इंसट्रुमेंट मैकेनिक
10.	इलेक्ट्रोप्लेटर	3	इलेक्ट्रोप्लेटर
11.	कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक	6	कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक
12.	प्लम्बर	2	प्लम्बर
13.	सर्वेयर	2	सर्वेयर
14.	मेसन	1	मेसन
15.	कारपेंटर	1	कारपेंटर
16.	सचिवीय सहायक	18	आशुलिपिक और सचिवीय सहायक (अंग्रेजी) / सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस
17.	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	1	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)
18.	मैकेनिक (मोटर वाहन)/ मैकेनिक डीजल	1	मैकेनिक (मोटर वाहन)/ मैकेनिक डीजल (जो भी लागू होता हो)
19.	हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट	1	हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट
20.	इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनन्स	1	इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनन्स

#	ट्रेड	प्रशिक्षुओं की संख्या	योग्यता - निम्नलिखित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण हो
21.	पंप ऑपरेटर-कम-मैकेनिक	1	पंप ऑपरेटर-कम-मैकेनिक
22.	डिजिटल फोटोग्राफर	1	डिजिटल फोटोग्राफर
23.	कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीशियन	1	कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्क तकनीशियन
	कुल	**120**	

11. आवेदन प्रक्रिया:

(क) **सभी अभ्यर्थियों को नैप्स प्रशिक्षुता पोर्टल** https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ **पर अपना पंजीकरण कराना होगा ।** आधार संख्या सहित सभी आंकड़े अभ्यर्थी को वहाँ भरने होंगे। पंजीकरण के समय, नैप्स पोर्टल पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ भी अपलोड करनी होंगी-

(अ) जन्म तिथि प्रमाण-पत्र / 10वीं कक्षा उतीर्ण होने का प्रमाणपत्र

(आ) "शैक्षणिक योग्यता" के लिए 10वीं कक्षा की अंकसूची

(इ) "तकनीकी योग्यता" के लिए आईटीआई की अंकसूची

(ई) फोटोग्राफ

(उ) विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(ऊ) हस्ताक्षर

(ख) नैप्स पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थियों को आरआरकैट प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहिए। आवेदन केवल आरआरकेट प्रशिक्षुता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आरआरकैट प्रशिक्षुता पोर्टल पर आवेदन भरते समय नैप्स प्रशिक्षुता पोर्टल द्वारा अभ्यर्थी को दी गयी पंजीकरण संख्या की प्रविष्टि करना अनिवार्य है।

(ग) राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के अप्रेन्टिस पोर्टल पर जानबूझकर कपटपूर्ण और गलत सूचना देना एक गंभीर आपराधिक कृत्य है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन कारवाई की जा सकती है। अत: दृढ़ रूप से सलाह दी जाती है कि इस तरह के प्रयास न किए जाए।

(घ) कोई भी प्रविष्टि करने या किसी भी विकल्प को चुनने से पूर्व अभ्यर्थी को विज्ञापन में दिए गए सामान्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी सभी आवश्यक विवरण भरें (अधूरा विवरण नहीं भरें) ।

(ङ) नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार भरी जानी चाहिए। अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना है कि एन.ए.पी.एस. अपरेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकृत करते समय भी यही नाम और जन्मतिथि हो । **आधार डेटा में आवश्यक कोई भी सुधार/अद्यतन दोनों पोर्टलों पर पंजीकरण से पूर्व किया जाना चाहिए।**

(च) आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे 300 किलोबाइट आकार में, jpg / pdf प्रारूप में, निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिलिपि तैयार रखें।

(अ) जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र

(आ) 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अंकसूची

(इ) आई टी आई की अंकसूची और ट्रेड सर्टिफिकेट

(ई) आधार कार्ड

(उ) पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

(ऊ) हस्ताक्षर

(ए) जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(ऐ) विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(छ) अभ्यर्थी को अपने पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार व्यक्तिगत, शैक्षिक और अन्य विवरण भरना होगा।

(ज) **अभ्यर्थी आवेदन के तुरंत बाद अपने आधार कार्ड पर उल्लिखित पते का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। यह दस्तावेज प्रशिक्षुता योजना में शामिल होने के लिए रिपोर्टिंग की तारीख पर आवश्यक होगा। इस प्रमाणपत्र के लिए कोई निर्दिष्ट प्रारूप नहीं है। अभ्यर्थी इलाके में प्रचलित प्रारूपों का उपयोग कर सकते हैं।**

(झ) पोर्टल पर आवेदन जमा करने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / सुधार के लिए किए गये किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि 'सबमिट' बटन पर क्लिक करने से पहले वे जाँच लें कि भरे गये सभी विवरण सही हैं। गलत सूचना देने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(ञ) अंतिम जमा (सबमिशन) होने के उपरांत, आवेदन पत्र सिस्टम द्वारा जनित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी को सेव कर लें और सिस्टम द्वारा जनित आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भी ले लें।

(ट) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भी लाना होगा।

(ठ) गलत / अधूरा ऑनलाइन आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

12. चयन प्रक्रिया:

आवेदन पत्रों की छंटनी निम्नलिखित आधार पर की जाएगी:

(क) **अभ्यर्थी, वर्ष 2016 में या उसके बाद आईटीआई उत्तीर्ण होने चाहिए। वर्ष 2015 में या उससे पहले आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यार्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

(ख) अभ्यर्थियों को तालिका-1 में उल्लिखित ट्रेडों में से एक के लिए आवेदन करना है। अभ्यर्थी के पास तालिका-1 के अंतिम कॉलम में उल्लिखित संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक से अधिक ट्रेड में आईटीआई योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना है ।

(ग) यदि कुछ ट्रेडों में अपर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो आर आर कैट को कुछ अन्य ट्रेडों में प्रशिक्षुओं की संख्या को बढ़ाने का अधिकार है ताकि अन्य ट्रेडों के अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप का अवसर दिया जा सके। राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र को प्रशिक्षुता रिक्तियों की कुल संख्या

को **50 %** तक बढ़ाने का अधिकार अग्रलिखित प्रावधानों के अधीन सुरक्षित है- (अ) प्रशिक्षुता नियम 1992 में निहित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे और (आ) आर आर कैट में एक समय पर कार्यरत प्रशिक्षुओं की कुल संख्या संस्थान के कर्मचारियों की कुल संख्या के **15%** से कम होगी।

(घ) आईटीआई में प्रवेश लेने से पहले अभ्यर्थी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को अवश्य उतीर्ण किया होना चाहिए तथा उस परीक्षा में कुल अंकों के कम से कम 40% अंक अवश्य प्राप्त किया होना चाहिए।

(ङ) मेरिट सूची, 'आईटीआई में अंकों के प्रतिशत का एक तिहाई' और '10 वीं कक्षा में अंकों के प्रतिशत के दो तिहाई' के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। इस योग को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित (round off) किया जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के योग समान आ गये तो उस अभ्यर्थी को उच्चतर रैंक दिया जाएगा जिसका 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अंकों का प्रतिशत अधिक हो।

(च) योग्यता सूची **14/10/2024** को आरआरकैट के प्रशिक्षुता पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(छ) इस योग्यता सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आया है उन्हे **19/10/2024** तक यह पुष्टि (कन्फर्म) करनी होगी कि वे प्रशिक्षुता में भाग लेने के इच्छुक हैं। इसकी पुष्टि के लिए उनको ई-मेल के द्वारा एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा । अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन और पासवर्ड का रिकॉर्ड रखना चाहिए क्योंकि पुष्टि के लिए उनकी आवश्यकता होगी। अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे आरआरकैट के प्रशिक्षुता पोर्टल और अपना ई-मेल नियमित देखते रहें। **आर आर कैट में ट्रेड अप्रेंटिसशिप योजना में शामिल होने की पुष्टि करने वाले सभी अभ्यर्थी तुरंत अपने आधार कार्ड में उल्लिखित पते का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर नज़र रखना शुरू कर दें। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यह एक अनिवार्य दस्तावेज है।**

(ज) उपरोक्त भागीदारी की पुष्टि तथा रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक **28/10/2024** को अंतिम योग्यता सूची प्रकाशित की जाएगी।

(झ) अन्तिम योग्यता सूची में शामिल अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से आरआरकैट में दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण प्रक्रिया के लिए दो स्लॉट निर्धारित किए गए हैं:

(अ) प्रथम स्लॉट: **02-12-2024** से **07-12-2024** (6 दिन)

(आ) द्वितीय स्लॉट: **06-01-2025** से **08-01-2025** तक (3 दिन)

जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षुता हेतु साल भर रहने की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है, वे प्रथम स्लॉट का विकल्प चुन सकते हैं। यह विकल्प चिकित्सा परीक्षण पूर्ण होने और जॉइनिंग की तिथि के बीच लगभग एक महीने का समय देता है ताकि आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें। अन्य अभ्यर्थी द्वितीय स्लॉट चुन सकते हैं।

अभ्यर्थी को प्रशिक्षुता में शामिल होने की पुष्टि करते समय उपरोक्त स्लॉट में से एक का चयन करना होगा जैसा कि ऊपर क्रमांक 12 (छ) में उल्लिखित है।

(ञ) निम्नलिखित दस्तावेज भौतिक रूप से सत्यापित किए जाएंगे:

(अ) 10 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची और प्रमाण-पत्र

(आ) आईटीआई की अंकसूची तथा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट

(इ) जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

(ई) विकलांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

(उ) आधार कार्ड

(ऊ) **आधार कार्ड पर उल्लिखित पते का पुलिस सत्यापन का प्रमाण-पत्र**

(ए) बचत बैंक खाता संख्या तथा पास-बुक

(ऐ) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकरण पुष्टिकरण ईमेल की कागजी प्रतिलिपि (हार्ड कॉपी)

(ओ) ऑनलाइन आवेदन पत्र की कागजी प्रतिलिपि

(औ) उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी

(अं) हाल ही में ली गयीं पासपोर्ट आकार वाली दो फोटो ।

(ट) यदि कुछ चयनित अभ्यर्थी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं, या उनके दस्तावेज सही नहीं पाए गये, या वे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं; तो योग्यता सूची में उनके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को अवसर दे दिया जाएगा।

(ठ) सभी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के तुरंत बाद अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण किया जायेगा।

(ड) चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त घोषित अभ्यर्थियों को **09/01/2025** को आरआरकैट में रिपोर्ट करना तथा प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होना होगा; अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और माना जाएगा कि उनको दिया गया प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। आरआरकैट योग्य मामलों में देर से शामिल होने की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ढ) यदि किसी चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज ठीक पाए जाते हैं लेकिन वह प्रस्ताव प्राप्त करने में विफल रहता है; तो उसे प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को बाद में भी प्रस्ताव दिया जा सकता है।

(ण) यदि सभी रिक्तियाँ भरी न जा सकीं तो निम्नलिखित स्थितियों में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षुता बैच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा-

(अ) अभ्यर्थिता वापस लेना, या

(आ) यदि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है परन्तु **09/01/2025** को आरआरकैट में रिपोर्ट नहीं करते हैं ।

(त) यदि आवश्यक हुआ तो किसी बाद की तारीख से प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होने के लिये नयी पूरक योग्यता सूची भी जारी की जा सकती है।

13. सामान्य निर्देश:

(क) अभ्यर्थियों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(ख) किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार (कैनवासिंग) करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर कर दी जाएगी।

(ग) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन में भाग लेने के लिए, या प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भता नहीं दिया जाएगा।

(घ) **दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षुओं को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।**

(ङ) यह सहभागिता और प्रशिक्षण, अपरेंटिस अधिनियम 1961 तथा अपरेंटिसशिप नियम 1992 के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करता है।

(च) **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने पर नियमित रोजगार प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है।** आरआरकैट में रोजगार के लिए भर्ती प्रक्रिया अलग से आयोजित की जाती है जिसमें प्रशिक्षु पात्र होने पर भाग ले सकते हैं।

(छ) जो पूर्व में ट्रेड प्रशिक्षुता में भाग ले चुके हैं, उन्हें उसी ट्रेड में प्रशिक्षुता के लिये विचार नहीं किया जाएगा।

(ज) चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण आरआरकैट स्वयं आयोजित करेगा। यह माना जाएगा कि जिस अभ्यर्थी ने आरआरकैट में ट्रेड प्रशिक्षु के लिए आवेदन किया है, उसे यह शर्त स्वीकर है।

(झ) प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास सुविधा ₹ 500/- (पांच सौ रुपये) प्रति व्यक्ति के मासिक शुल्क पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, बिजली का शुल्क वास्तविक आधार पर लिया जाएगा। छात्रावास और बिजली शुल्क संशोधन के अधीन है और छात्रावास सुविधा का लाभ ले रहे प्रशिक्षुओं के मासिक वृत्तिका से इसकी कटौती की जाएगी।

(ञ) प्रशिक्षुओं को अपने आने-जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ट) आरआरकैट ट्रेड प्रशिक्षण के संचालन के साथ-साथ इसका मूल्यांकन भी करेगा जिसकी आवृत्ति और अवधि, प्रशिक्षण-प्रभारी तय करेंगे। प्रशिक्षुओं को 'ऑन-जॉब कार्य प्रशिक्षण' के समय अपने ट्रेड को सीखने का निष्ठापूर्वक प्रयास करना है तथा समय-समय पर होने वाले आकलन में संतोषजनक प्रदर्शन करना है। यह माना जाता है कि ट्रेड प्रशिक्षुओं के पास वह कौशल विद्यमान है जिसे उन्होने अपने आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान सीखा था। आन्तरिक मूल्यांकन में यदि किसी ने लगातार खराब प्रदर्शन किया तो प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 और अपरेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षुता को समाप्त किया जा सकता है।

(ठ) शिक्षण का माध्यम हिंदी / अंग्रेजी होगा। शिक्षण का माध्यम कुछ भी हो किन्तु शिक्षण के दौरान आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी शब्दावली का उपयोग किया जाएगा।

(ड) आरआरकैट भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रतिष्ठान है, जो लेजर, कण त्वरकों एवं संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर-नाभिकीय क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा है। इसके परिसर के भीतर और तकनीकी क्षेत्र के निकट इसकी अपनी सर्व-सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनी है। संपूर्ण आरआरकैट परिसर चौबीसों घंटे सीआईएसएफ सुरक्षा के साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है।

(ढ) आरआरकैट में, महिलाओं की गरिमा के लिए अहितकारी किसी भी कार्रवाई के प्रति शून्य सहिष्णुता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने हेतु, आरआरकैट में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:

क) **महिला कल्याण समिति:** कामकाजी महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं पर चर्चा करना और उन्हें कम करने के लिए सलाह देना।

ख) **आंतरिक शिकायत समिति:** समिति का गठन "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रावधानों का पालन करने के लिए किया गया है।

(ण) आरआरकेट परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 जैसे विशेष प्रावधान द्वारा शासित है। इसके कर्मचारी असैनिक कर्मचारी हैं और उपर्युक्त अधिनियम तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 से बंधे हैं। आचरण और अनुशासन के सभी मामलों में, प्रशिक्षु आरआरकेट में प्रचलित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

(त) प्रशिक्षु के लड़ाकू, बेइमान, बिलम्बकारी और पलायनवादी व्यवहार से इस प्रशिक्षण योजना के परिणाम बाधित होंगे। इसलिए, यदि ऐसी घटनाएं आरआरकेट प्राधिकारियों के ध्यान में लायी जातीं हैं तथा तीन आधिकारिक ज्ञापन (मेमो) देने के बाद भी प्रशिक्षु स्वयं में सुधार नहीं करता है तो उसकी प्रशिक्षुता को प्रशिक्षु सलाहकार के परामर्श से समाप्त किया जा सकता है।

(थ) यदि प्रशिक्षु के अनुबन्ध की शर्तों को पूरा न करने के कारण प्रशिक्षुता का अनुबन्ध समाप्त किया जाएगा, उस स्थिति में प्रशिक्षु आर आर कैट को प्रशिक्षण के मूल्य के रूप में उतनी धनराशि वापस देगा जितनी अप्रेन्टिस सलाहकार तय करेंगे। ऐसी स्थिति में, अपरेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अनुसार, ऐसे प्रशिक्षु किसी भी अन्य संस्थान के साथ अपरेंटिसशिप के दूसरे अनुबन्ध में प्रवेश करने के हकदार नहीं होंगे।

(द) प्रशिक्षुता के सफल समापन उपरांत, प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से, परीक्षा नियंत्रक (प्रशिक्षण महानिदेशालय) द्वारा ऑनलाइन जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(ध) किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए **tasar@rrcat.gov.in** पर ईमेल भेजें।

14. महत्वपूर्ण तिथियों का सारांश:

क्रम संख्या	**विवरण**	**आरंभ तिथि**	**अंतिम तिथि**
क)	जन्म तिथि	09/01/2001	09/01/2007
ख)	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन	06/09/2024	30/09/2024
ग)	योग्यता सूची की घोषणा	14/10/2024	-
घ)	चुने हुए अभ्यर्थियों द्वारा पुष्टि	14/10/2024	19/10/2024
ङ)	अंतिम योग्यता सूची की घोषणा	28/10/2024	-
च)	दस्तावेज़ सत्यापन के लिए रिपोर्टिंग (प्रथम स्लॉट)	02/12/2024 (सुबह 10:00 बजे)	
छ)	दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण (प्रथम स्लॉट)	02/12/2024	07/12/2024
ज)	दस्तावेज़ सत्यापन के लिए रिपोर्टिंग (द्वितीय स्लॉट)	06/01/2025 (सुबह 10:00 बजे)	
झ)	दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण (द्वितीय स्लॉट)	06/01/2025	08/01/2025
ञ)	प्रशिक्षुता अवधि	09/01/2025	08/01/2026

सहायक कार्मिक अधिकारी (नियुक्ति)